क्रम-संख्या–26

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस0एस0पी0/एल0-डब्लू/एन0पी0–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 11 फरवरी, 2025

माघ 22, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग–4

———

संख्या 2-2025–203/तीस-4–2025-30-4099(099)-154-2023

लखनऊ, 11 फरवरी, 2025

———

अधिसूचना

सा0प0नि0–13

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थातः–

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 2025 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएँ

2–जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (अधिनियम संख्या 22 सन् 2023) से है;

(ख) ''सलाहकार समिति'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित किसी सलाहकार समिति से है;

(ग) ''वार्षिक रिपोर्ट'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट से है;

(घ) ''लेखापरीक्षा अधिकारी'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के महालेखाकार से है और इसमें प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति और साथ ही लेखा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षक भी सम्मिलित है;

(ङ) ''प्राधिकरण'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से है;

(च) ''बजट'' का तात्पर्य किसी वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान से है;

(छ) ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है;

(ज) ''निधि'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 23 के अधीन गठित ''उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि'' से है;

(झ) ''सदस्य'' का तात्पर्य प्राधिकरण के सदस्य से है;

(ञ) ''उपाध्यक्ष'' का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है; और

(ट) ''विनियम'' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 40 के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों से है।

अध्याय–दो

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव की पदावधि, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें

पदावधि

3–(1) यदि मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जाता है, तो अध्यक्ष की पदावधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक वह परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे।

(2) यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो वे पांच वर्ष की अवधि के लिए या ऐसी अवधि के लिए जो अनधिक पांच वर्ष हो जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, पद धारण करेंगे।

(3) अध्यक्ष, यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो और उपाध्यक्ष की पदावधि की गणना उनके पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी। अध्यक्ष की पदावधि (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नवीकृत की जा सकती है और उपाध्यक्ष की पदावधि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अग्रतर अवधि के लिए नवीकृत की जा सकती है।

(4) प्राधिकरण का सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित अवधि के लिए पद धारण करेगा।

त्यागपत्र

4–(1) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल को संबोधित अपने हाथ से लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं;

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष का पद, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ऐसे सदस्य के त्यागपत्र स्वीकार किये जाने के दिनांक से रिक्त हो जायेगा।

वेतन

5–(1) यदि मुख्यमंत्री द्वारा परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश को अध्यक्ष के रूप में नाम–निर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से कोई वेतन और भत्ता संदेय नहीं होगा।

(2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, नियुक्ति के समय, अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते निम्नानुसार होंगे :–

(क) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है): उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को अनुमन्य 'नियत' मासिक वेतन के अनुसार;

(ख) उपाध्यक्षः जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव स्तर के राज्य सरकार के अधिकारियों पर लागू होता है;

(ग) सचिवः जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक धारण करने वाले अधिकारियों पर लागू होता है।

(3) यदि अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष को उसकी नियुक्ति के समय कोई अधिवार्षिकी पेंशन प्राप्त हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति के वेतन में से ग्रेच्युटी के समतुल्य पेंशन को सम्मिलित करते हुए पेंशन के रूप में उसको प्राप्त होने वाली धनराशि को घटा दिया जायेगा।

(4) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष का वेतन अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने की अवधि के दौरान उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि के दौरान, पुनर्योजित कार्मिकों को वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो पुनर्योजित कार्मिकों के अन्तिम आहरित मूल वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (पूँजीकरण के पूर्व यदि कोई हो) की कटौती के परिणामस्वरूप आय या पुनर्योजित पद का अधिकतम वेतन, जो भी न्यून हो; से अधिक नहीं होगा। पुनर्गठन की अवधि के दौरान शुद्ध वेतन तथा शुद्ध पेंशन के योग पर मँहगाई भत्ता अनुमन्य होगा। पेंशन पर पृथक से राहत अनुमन्य नहीं होगी।

(6) पुनः स्थापन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पदभार ग्रहण करने या उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता संदेय नहीं होगा।

आवासीय वास–सुविधा

6–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से कोई आवासीय सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) या उपाध्यक्ष ऐसे आवास के आवंटन या ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने जैसा कि प्राधिकरण के उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों हेतु अनुज्ञेय हो, के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित किये जाने वाले ऐसे आवास के लिए मासिक किराये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, वेतन की 10% की कटौती पर असज्जित वास–सुविधा के लिए हकदार होंगे।

(3) सचिव ऐसे आवास के आबंटन या ऐसा मकान किराया भत्ता प्राप्त करने जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक धारण करने वाले अधिकारियों हेतु अनुज्ञेय हो, के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित किये जाने वाले ऐसे आवास के लिए मासिक किराये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, वेतन की 10% की कटौती पर असज्जित वास–सुविधा के लिए हकदार होगा।

कार का निःशुल्क उपयोग

7–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से सरकारी वाहन की सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष द्वारा निजी प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की कार का उपयोग, राज्य सरकार के प्रमुख सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा कार के उपयोग के लिए तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय और कार्यभार ग्रहण समय वेतन

8–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय और कार्यभार ग्रहण समय वेतन आदि सुविधा नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति पर ड्यूटी में सम्मिलित होने और वहां से प्रतिवर्तन के समय ऐसे यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण–समय और कार्यभार ग्रहण समय–वेतन का हकदार होगा जो तद्निमित्त लागू विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी के लिए अनुज्ञेय होः

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त बनाए गए ऐसे किसी भी विनियम के अभाव में, राज्य सरकार के प्रमुख सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के संबंध में लागू यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय और कार्यभार ग्रहण समय वेतन के हकदार होंगे।

दौरे पर यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता

9–(1) यदि परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है, तो परिवहन मंत्री को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु पृथक से यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता आदि सुविधायें नहीं दी जायेगी।

(2) अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हो) और उपाध्यक्ष ऐसे यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो तद्निमित्त प्राधिकरण के लागू विनियमों के अनुसार प्राधिकरण के पूर्णकालिक नियोजन में अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी के लिये अनुज्ञेय होः

परन्तु यह कि, जब तक प्राधिकरण द्वारा तद्निमित्त विनियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक दौरे पर यात्रा के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता राज्य सरकार और उससे ऊपर के अधिकारियों द्वारा यात्रा के विनियमन के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

अन्य सुविधाएं एवं सेवा शर्तें

10–अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त हों) और उपाध्यक्ष के अन्य भत्ते और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो उनकी नियुक्ति के समय राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जा सकती हैंः

परन्तु यह किसी भी मामले के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं किया गया है, प्राधिकरण के पूर्णकालिक रोजगार के अधिकारियों की उच्चतम श्रेणी पर तद्निमित्त लागू विनियम अध्यक्ष (यदि कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उ0प्र0 के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है) और उपाध्यक्ष पर भी लागू होंगे।

सचिव के अन्य भत्ते एवं सेवा शर्तें

11–अन्य भत्ते जैसे यात्रा भत्ता, कार्यभार ग्रहण समय, कार्यभार ग्रहण समय–वेतन, कार का उपयोग आदि परिवहन विभाग के अपर परिवहन आयुक्त रैंक के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों या आदेशों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

अध्याय–तीन

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य

अध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य

12–(1) प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करने और प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का निर्वहन करने के अतिरिक्त, अध्यक्ष प्राधिकरण का कार्यकारी प्रमुख भी होगा और प्राधिकरण द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का निर्वहन भी करेगा। अध्यक्ष को, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी के रूप में, धारा 40 के अधीन बनाए गए किन्हीं भी विनियमों के अधीन, इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने की समग्र जिम्मेदारी न्यस्त होगी।

(2) अध्यक्षः

(एक) जब तक बीमारी या अन्य युक्ति युक्त कारण से रोका न जाए, प्राधिकरण की बैठक में भाग लेगा;

(दो) प्राधिकरण के मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण घटनाओं और विकास के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट करना;

(तीन) प्राधिकरण के कामकाज और प्रदर्शन के विषय में राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होना;

(चार) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति यथाशीघ्र राज्य सरकार को पारेषित करेगा;

(पांच) प्रत्येक मास के पहले सप्ताह तक, पूर्ववर्ती मास के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों और प्रदर्शन पर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे मामलों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदेशित किया जाय;

(छः) प्राधिकरण के मामलों के संबंध में राज्य सरकार के लिखित रूप में दिए गए सभी निदेशों का पालन करना;

(सात) प्राधिकरण के मामलों से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में ऐसे विनिर्दिष्ट कर्तव्यों या कर्तव्य भारों का निर्वहन करना जिन्हें राज्य सरकार उसे न्यस्त किया जाना उचित समझे;

(आठ) प्राधिकरण के समस्त निदेशों, विनिश्चयों और आदेशों का पालन करना या करवाना;

(नौ) कार्यकारी प्रशासन के मामलों में और प्राधिकरण के खातों और अभिलेख से संबंधित मामलों में प्राधिकरण के समस्त कर्मचारियों के कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखना;

(दस) प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं से संबंधित सेवा विस्तार देने, छुट्टी देने, निलंबित करने, अवनत करने, अनिवार्य सेवानिवृत्त करने, हटाने या सेवा सम्बन्धी किसी अन्य प्रश्न की शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिसमें ऐसे कर्मचारी के कदाचार के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से ऐसे किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवा से छूट देने की शक्ति सम्मिलित है।

उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य

13–(1) उपाध्यक्षः–

(एक) अध्यक्ष को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना;

(दो) जब तक बीमारी या अन्य युक्तियुक्त कारण से रोका न जाए, प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में भाग लें;

(तीन) यदि अध्यक्ष दुर्बलता के कारण, या अन्यथा, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ है या छुट्टी पर अनुपस्थित है या अन्यथा, ऐसी परिस्थितियों में जिसमें उसके कार्यालय की छुट्टी सम्मिलित नहीं है, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करें।

अध्याय–चार

प्राधिकरण की बैठकों के लिए प्रक्रिया

बैठकों की आवृत्ति

14–(1) नियम 14 में निर्दिष्ट विशेष बैठक के अलावा प्राधिकरण की एक बैठक, कैलेंडर वर्ष की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

(2) अध्यक्ष समय–समय पर प्राधिकरण की बैठकों के लिए दिनांक और समय अवधारित करेगा।

(3) प्राधिकरण की बैठक प्राधिकरण के मुख्यालयों अथवा ऐसे अन्य स्थान पर आयोजित की जाएगी जो राज्य सरकार के परामर्श से प्राधिकरण द्वारा जैसा विनिश्चित किया जाय।

विशेष बैठकें बुलाना

15–अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जहां भी वह उचित समझे, और कम से कम तीन सदस्यों के अनुरोध पर प्राधिकरण की एक विशेष बैठक बुलाएगा।

बैठक की सूचना

16–(1) नियम 15 में निर्दिष्ट विशेष बैठक से भिन्न प्राधिकरण की बैठक प्रत्येक सदस्य को लिखित रूप में कम से कम अनून्य सात पूर्ण दिवस की नोटिस देकर बुलाई जाएगी, और प्रत्येक सदस्य को निपटाए जाने वाले कार्य की एक सूची उस बैठक में प्रस्तुत की जाएगी।

(2) प्रत्येक सदस्य को कम से कम तीन दिनों का स्पष्ट लिखित नोटिस देकर एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।

गणपूर्ति

17–(1) विशेष बैठक से भिन्न प्राधिकरण की बैठक के लिए गणपूर्ति कम से कम पांच सदस्यों की होगी।

(2) उपस्थित चार सदस्य उस प्राधिकरण की विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति होंगे।

(3) यदि प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति उपस्थित नहीं है, तो बैठक अगले सप्ताह में उसी दिन उसी समय और स्थान पर स्थगित कर दी जाएगी और ऐसी बैठक के पीठासीन अधिकारी उपस्थित सदस्यों को सूचित करेंगे और अन्य सदस्यों को नोटिस भेजेंगे।

(4) यदि स्थगित बैठक में भी, बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति मौजूद नहीं है, तो उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

बैठकों की अध्यक्षता करना

18–अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा, और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं हैं, तो उपस्थित प्राधिकरण का सबसे वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

कार्यसूची में सम्मिलित न किये गये मद पर चर्चा

19–किसी बैठक में पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किए गए किसी भी मद को चर्चा के लिए सम्मिलित कर सकता है, यदि वह, उसकी राय में, पर्याप्त महत्व अथवा अति आवश्यक है और किसी भी पश्चात्वर्ती बैठक में विचार के लिए नहीं रखा जा सकता है।

बैठक का कार्यवृत्त

20–(1) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली एक पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा, जिस पर पीठासीन अधिकारी के साथ–साथ उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा यथाशीघ्र हस्ताक्षर किए जाएंगे और कार्यालय समय में किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) कार्यवाही के ऐसे भाग को छोड़कर, जिसे अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, किसी विशेष मामले में निदेशित कर सकता है, भी कार्यालय समय में प्राधिकरण के कार्यालयों का जनता के निरीक्षण के लिए खोला जायेगा।

(3) प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किये जायेंगे।

(4) प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्य को इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली पुस्तिका अथवा रजिस्टर में अपना नाम हस्ताक्षर करना होगा।

बैठक का स्थगन

21–(1) किसी बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक को पश्चातवर्ती दिनांक में स्थगित कर सकता है, जिस दिनांक की घोषणा बैठक में की जाएगी और जहां उस आशय की घोषणा नहीं की जाती है, पीठासीन अधिकारी समस्त सदस्यों को सात पूर्ण दिनों का नोटिस देगा।

(2) किसी भी स्थगित बैठक में उस बैठक में अधूरे छोड़े गए कारबार के अलावा कोई भी कारबार नहीं किया जाएगा, जहां से स्थगन हुआ था।

अध्याय–पांच

सलाहकार समितियाँ और विशेषज्ञों का पैनलीकरण

सलाहकार समिति

22–(1) प्राधिकरण ऐसी सलाहकार समितियों का गठन कर सकता है जो उसके कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(2) सलाहकार समिति में आधिकारिक और गैर–आधिकारिक सदस्य हो सकते हैं, जिनके पास पोत परिवहन और नौपरिवहन और संबद्ध पहलुओं से संबंधित योग्यताएं और अनुभव हो।

(3) एक सलाहकार समिति में छः से अधिक सदस्य नहीं होंगे और जिनमें से कम से कम आधे गैर–सरकारी सदस्य होने चाहिए।

(4) प्राधिकरण, एक सदस्य को सलाहकार समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करेगा।

सलाहकार समितियों के कार्य संचालन की प्रक्रिया

23–(1) सलाहकार समिति का प्रमुख आवश्यकता पड़ने पर या प्राधिकरण के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निदेशानुसार सलाहकार समिति की बैठक बुलाएगा।

(2) सलाहकार समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति सलाहकार समिति के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से कम नहीं होगी।

(3) उप नियम (2) के अधीन, किसी भी सलाहकार समिति की बैठकें, जहां तक हो सकें, अध्याय (चार) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की बैठकों पर लागू नियमों द्वारा शासित होंगी।

सदस्यों की पदावधि

24–(1) सलाहकार समिति का एक सदस्य ऐसी अवधि के लिए पद पर रहेगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जा सकती है और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(2) किसी सलाहकार समिति का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित अपने हस्ताक्षरित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) किसी सलाहकार समिति के सदस्य को पद–रिक्त माना जाएगाः –

(क) यदि वह सलाहकार समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है;

(ख) यदि वह दिवालिया हो जाता है; या

(ग) यदि उसे किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो।

(4) प्राधिकरण किसी भी सदस्य को सलाहकार समिति से हटा सकता है, जो उसकी राय में:–

(क) कार्य करने से इंकार करता हो;

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो;

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो;

(घ) अन्यथा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो।

भत्ते

25–शासकीय सदस्य को कोई भत्ता प्राप्त नहीं होगा; सलाहकार समिति का केवल अशासकीय सदस्य ही प्रत्येक बैठक में उपस्थिति के लिए दस हजार रुपये के भत्ते का हकदार होगा :

परन्तु यह कि एक कैलेंडर माह के दौरान सलाहकार समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए सलाहकार समिति के किसी भी अशासकीय सदस्य को संदेय भत्ते की कुल राशि पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी।

यात्रा भत्ता

26–सलाहकार समिति की किसी भी बैठक में उपस्थित होने वाले सलाहकार समिति का प्रत्येक बाह्यस्थानी अशासकीय सदस्य हकदार होगा–

(क) नियम 25 के अधीन संदेय भत्ते के अतिरिक्त, अधिकारियों के उच्चतम प्रवर्ग के लिए लागू दर पर यात्रा भत्ता प्राप्त करना;

(ख) सलाहकार समिति की बैठकों के स्थान और उसके निवास स्थान तक की यात्रा की अवधि के लिए उस प्राधिकरण के सर्वकालिक रोजगार में अधिकारियों के उच्चतम प्रवर्ग के लिए लागू दर पर दैनिक भत्ता प्राप्त करना।

विशेषज्ञों का पैनल बनाना

27–(1) प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर अपने कृत्यों के कुशल निर्वहन के लिए किसी विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को भी पैनल में रख सकता है;

(2) विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा पैनल में रखा जाएगा और इस तरह के पैनल को प्राधिकरण की अगली बैठक में अनुसमर्थित किया जाएगा।

(3) विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) के भत्ते, कार्यकाल और अन्य शर्तें पैनल में सम्मिलित होने के समय प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाएंगी।

(4) प्राधिकरण उस विषय विशेषज्ञ (विशेषज्ञों) को हटा सकता है, जो उसकी राय में:–

(क) कार्य करने से इंकार करता हो;

(ख) कार्य करने में असमर्थ हो;

(ग) अपने पद का इतना दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक हो;

(घ) अन्यथा विशेषज्ञ के रूप में बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो।

अध्याय–6

बजट, लेखा और लेखापरीक्षा

बजट की तैयारी और प्रस्तुतीकरण

28–(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राधिकरण के बजट अनुमान ऐसे प्रपत्र (प्रपत्रों), जो प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (अधिकारियों) द्वारा उप–नियम (4) में विनिर्दिष्ट दिनांक से पर्याप्त पहले तैयार किये जायेगें।

(2) इस प्रकार तैयार किए गए बजट अनुमानों की एक प्रति प्रत्येक सदस्य को प्राधिकरण की बैठक से कम से कम चौदह दिन पूर्व प्रेषित की जाएगी, जिसमें ऐसे अनुमानों पर विचार किया जाना है।

(3) प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए निर्धारित बैठक में या किसी अन्य बैठक में, जिसमें बजट अनुमानों पर विचार स्थगित हो, ऐसे परिवर्तनों के साथ जो उपयुक्त समझे, बजट प्राक्कलनों पर विचार करेगा और मंजूरी देगा।

(4) प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत बजट अनुमान–पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अक्टूबर माह के पंद्रहवें दिन तक राज्य सरकार को भेज दिए जाएंगे, जिस वित्तीय वर्ष से बजट अनुमान संबंधित हैं:

परन्तु यह कि राज्य सरकार, प्राधिकरण के अनुरोध पर, ऐसी बाद की तारीख जो राज्य सरकार उचित समझे नियत कर सकती है, लेकिन अक्टूबर महीने के इकत्तीसवें दिन के पश्चात न हो।

अनुपूरक बजट

29–प्राधिकरण जहां आवश्यक हो, राज्य सरकार को उस वित्तीय वर्ष के संबंध में, जिससे वह सम्बन्धित है, ऐसे दिनांक से पूर्व जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे प्रपत्र (प्रपत्रों), जो प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, में अनुपूरक बजट भी भेजेगा।

लेखा एवं लेखापरीक्षा

30–(1) वित्तीय वर्ष/लेखा वर्ष दिनांक 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर दिनांक 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष होगा।

(2) प्राधिकरण उचित खाते और अन्य सुसंगत अभिलेख अनुरक्षित रखेगा और लाभ एवं हानि खाते तथा तुलन-पत्र सम्मिलित करते हुए खातों का वार्षिक विवरण, ऐसे प्रपत्र (प्रपत्रों), जो प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, में तैयार करेगा।

(3) प्राधिकरण के खातों की वार्षिक लेखापरीक्षा उत्तर प्रदेश के महालेखाकार और या प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी और प्राधिकरण के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी व्यय को प्राधिकरण द्वारा उस दिनांक से तीन महीने के भीतर संदाय किया जाएगा जिस दिनांक को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा कोई मांग की जाती है।

(4) प्राधिकरण के खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा अधिकारी के पास ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो उत्तर प्रदेश के महालेखाकार के पास सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में हैं और विशिष्टतया लेखा पुस्तकों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और कागज–पत्रों को प्रस्तुत

करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) लेखापरीक्षा अधिकारी को उस वर्ष के अनुगामी, जिस वर्ष से खाते संबंधित हैं, जुलाई के 31वें दिन या उससे पहले प्राधिकरण द्वारा सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित और सम्यक रूप से पारित वार्षिक खातों की एक प्रति प्रदान की जाएगीः

परन्तु यह कि प्राधिकरण से प्राप्त अनुरोध पर सरकार लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से और लेखा परीक्षक की सहमति से लेखा परीक्षा अधिकारी को वार्षिक खाते प्रस्तुत करने के दिनांक को ऐसी अवधि तक जैसा उचित समझे बढ़ा सकती है।

(6) लेखापरीक्षा अधिकारी उसे खाते प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के भीतर प्राधिकरण के वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट करेगा।

(7) लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के खातों को लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के दिनांक से तीन महीने की अवधि के भीतर लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक रूप से राज्य सरकार को भेजा जाएगा।

(8) भण्डार के प्रारम्भिक खाते–कार्य स्थल पर सामग्री और औजार एवं संयंत्र (विशेष औजारों और संयन्त्रों समेत) सम्मिलित करते हुए भण्डार के प्रारम्भिक खातों का अनुरक्षण ऐसे अनुदेशों, जो समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाये, के अनुसार किया जाएगा।

(9) भण्डारों का भौतिक सत्यापन– भण्डारों, औजारों और संयंत्रों का भौतिक सत्यापन एक ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उसका अभिरक्षक नहीं है। इस तरह के सत्यापन के परिणाम, भंडारों और औजारों एवं संयंत्रों की किसी भी कमी अथवा आधिक्य के लिए प्राधिकरण के आदेशों के साथ लेखापरीक्षा अधिकारी को संसूचित किए जाएंगे।

(10) खातों में अनौचित्य या अनियमितता–

(क) लेखापरीक्षा अधिकारी प्राधिकरण और राज्य सरकार को अलग से एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जहां आवश्यक हो किसी भी भौतिक अनौचित्य या अनियमितता के संबंध में जिसे वह व्यय में या प्राधिकरण को देय धन की वसूली में देख सकता है।

(ख) प्राधिकरण लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा बताए गए किसी भी दोष या अनियमितता को तुरंत ठीक करेगा और लेखापरीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के नब्बे दिनों के भीतर सरकार को उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा :

परन्तु यह कि, यदि प्राधिकरण और लेखापरीक्षा अधिकारी के बीच कोई मतभेद है, या यदि प्राधिकरण उचित अवधि के भीतर किसी दोष या अनियमितता का समाधान नहीं करता है या दोष या अनियमितता के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो राज्य सरकार, लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट रूप से दिए गए संदर्भ पर, लेखापरीक्षक के परामर्श से, उस पर ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे और उसके बाद प्राधिकरण ऐसे समय के भीतर कार्रवाई करेगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा तैयार करना और प्रस्तुत करना

31–(1) अध्यक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र तैयार करेगाः –

(क) अधिनियम की धारा 28 में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट, और

(ख) नियम 30 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट लेखाओं का वार्षिक विवरण।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मामलों पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों का लेखा सम्मिलित होगा, अर्थातः–

(क) प्राधिकरण के निगमित और परिचालन लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण;

(ख) उन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन के संक्षिप्त पुनर्विलोकन के साथ विभिन्न क्रियाकलापों के लिए भौतिक और वित्तीय रूप से निर्धारित वार्षिक लक्ष्य।

(ग) पूर्ववर्ती वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और उन क्रियाकलापों का लेखा जो आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू होने की संभावना है;

(घ) रिपोर्ट के पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसे निम्नलिखित विवरण की रीति से उपदर्शित किया गया है : –

(एक) आय और व्यय;

(दो) निधियों का स्रोत और उपयोजन, और

(तीन) नकद प्रवाह;

(ङ) नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उठाए गए या किए जाने वाले विनिर्दिष्ट उपाय, जिन्होंने प्राधिकरण की लाभप्रदता या कृत्य को प्रभावित किया है या प्रभावित करने की संभावना है;

(च) विस्तार योजनाओं की नई परियोजनाओं पर उनके लाभ, वित्तीय निहितार्थ और कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों के साथ विचार किया गया;

(छ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ज) नियोक्ता–कर्मचारी संबंध और प्राधिकरण के कल्याणकारी क्रियाकलापों पर एक रिपोर्ट; और

(एक) ऐसे अन्य विविध विषयों पर रिपोर्ट, जिन्हें प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा बाद में रिपोर्ट करने के लिए उपयुक्त समझा जाए।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट को प्राधिकरण की बैठक में अंगीकरण के लिए रखा जाएगा और सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्राधिकरण की सामान्य मुहर लगाकर अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसकी एक सौ प्रतियां अनुगामी वर्ष के अक्टूबर के अंत तक राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) प्राधिकरण द्वारा अपनी बैठक में अंगीकृत किये जाने के बाद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और प्राधिकरण की आम मुहर लगाकर अधिप्रमाणित वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्र और उस पर रिपोर्ट के साथ आगामी वर्ष के नवंबर के दूसरे सप्ताह तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे खाते संबंधित हैं।

अध्याय–7

निधि का गठन और निधियों का विनिधान

उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि

32–(1)उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि ''लोक खाता'' में खोली जाएगी और इस संबंध में उ0प्र0 सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लेखाशीर्ष/उपशीर्ष का उपबन्ध किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण के गठन/संचालन हेतु प्रदान की गयी धनराशि ऋण या अंश पूँजी के रूप में होगी।

(3) निधि का स्रोत जैसा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, होगा और निधि से व्यय जैसा की अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट है, होगा।

(4) इस निधि का संचालन अधिनियम के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

निधि के विनिधान की रीति

33–निधि में जमा सारा पैसा जिसे अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है, भारतीय स्टेट बैंक या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 40 सन् 1980) की प्रथम सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी अनुसूचित बैंक में जमा किया जाएगा।

आरक्षित निधि

34–(1) प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रत्येक ऋण के संबंध में, जो ऋण के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति से पहले प्रतिसंदेय ऋण नहीं है, प्राधिकरण अपनी आय में से छमाही आधार पर एक राशि खाता शीर्ष–''चालीस'' के अधीन उपशीर्ष–''चालीस'' खोलकर स्थापित की गयी आरक्षित निधि में अलग रखेगा, उस अवधि के भीतर ऋण का परिसमापन करने के लिए पर्याप्त है जो किसी भी स्थिति में तीस वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार से लिए गए ऋण के मामले में, उस आशय की किसी अनुबन्ध के अनुपस्थिति में एक आरक्षित निधि स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा पृथक रखी गई राशि को केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों में विनिधान किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार इस संबंध में अनुमोदित कर सकती है और अधिनियम के प्रयोजनों के लिए न्यास में रखी जाएगी।

(3) प्राधिकरण किसी भी आरक्षित निधि में संचित की गई सम्पूर्ण रकम या उसके किसी हिस्से को ऋण दायित्वों के निर्वहन में लागू कर सकता है, जिसके प्रतिसंदाय के लिए निधि की स्थापना की गई है :

परन्तु यह कि प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष निधि में ब्याज के बराबर राशि जो आरक्षित निधि द्वारा उत्पन्न होती हो या इस प्रकार लागू आरक्षित निधि का हिस्सा हो तब तक भुगतान और संचय करता है जब तक कि उधार ली गई सम्पूर्ण धनराशि का उन्मोचन नहीं कर दिया जाता है।

(4) किसी भी ऋण के परिसमापन के लिए स्थापित आरक्षित निधि ऐसे व्यक्ति द्वारा वार्षिक जांच के अधीन होगी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया जा सकता है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति यह अभिनिश्चय करेगा कि क्या निधि के क्रेडिट पर प्रतिभूतियों का नकद और चालू बाजार मूल्य वास्तव में उस राशि के बराबर होता है, जो नियमित रूप से निवेश किये जाने और उस पर मूल रूप से अनुमानित ब्याज दर प्राप्त किये जाने पर संचित होती।

(5) प्राधिकरण आरक्षित निधि में किसी भी राशि का भुगतान करेगा जिसे निधि की वार्षिक परीक्षा का संचालन करने के लिए उप–नियम (4) के अधीन नियुक्त व्यक्ति कम होना प्रमाणित कर सकता है जब तक कि राज्य सरकार विशेष रूप से क्रमिक पुनः समायोजन की मंजूरी नहीं देती है।

(6) यदि किसी आरक्षित निधि में जमा प्रतिभूतियों का नकद और चालू बाजार मूल्य उस राशि से अधिक है जो उसके जमा में होनी चाहिए, तो उप–नियम (4) के अधीन नियुक्त व्यक्ति इस अतिरिक्त राशि को प्रमाणित करेगा और प्राधिकरण, राज्य सरकार की पिछली मंजूरी से, आरक्षित निधि में अर्धवार्षिक योगदान को कम या बंद कर सकता है।

अध्याय–8

भूमि या परिसर में प्रवेश करने की शक्ति

नोटिस के तामील की रीति

35–(1) अधिनियम की धारा 33 के अधीन किसी भी भूमि या परिसर में प्रवेश करने से पहले, प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भूमि के स्वामी, या जिस परिसर में प्रवेश करना चाहता है, उसे इन नियमों से अनुलग्न प्रपत्र में नोटिस देगा।

(2) नोटिस की एक प्रति उस व्यक्ति को, जिसके लिए यह आशयित की गई है, या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को, या एजेंट या नौकर को देकर या रजिस्ट्री कृत डाक द्वारा भेजकर अभिस्वीकृति दी जा सकती है, उस व्यक्ति को उसके सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास या व्यवसाय स्थान पर सम्यक रूप से संबोधित किया गया।

(3) जहां तामील करने वाला अधिकारी उप–नियम (2) के अधीन नोटिस की प्रति परिदान व निविदा करता है, उसे मूल पर पृष्ठांकित तामील की अभिस्वीकृति के लिए उस व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी जिसे प्रतिलिपि दी गई है या प्रस्तुत की गई है।

(4) जहां व्यक्ति या परिवार का वयस्क सदस्य, या ऐसे व्यक्ति का नौकर, अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है, या जहां तामील करने वाला अधिकारी पूरी सम्यक और युक्तियुक्त तत्परता का उपयोग करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाता है और वहां कोई परिवार का वयस्क सदस्य या ऐसे व्यक्ति का परिवार का नौकर नहीं है तो तामील करने वाला अधिकारी बाहरी दरवाजे या ऐसे व्यक्ति के साधारण निवास, या कारबार के कुछ अन्य सहजदृश्य भाग पर नोटिस की एक प्रति चिपकायेगा, के साथ पृष्ठांकित या संलग्न एक रिपोर्ट जिसमें यह कथित हो कि उसे एक प्रति चिपकानी थी, परिस्थितियां जिसके अधीन उसने ऐसा कार्य किया, और उस व्यक्ति का नाम और पता, यदि कोई हो, जिसके द्वारा, यथास्थिति, निवास या कारबार के सामान्य या अंतिम ज्ञात स्थान की पहचान की गयी थी और जिसकी उपस्थिति में प्रतिलिपि लगाई गयी थी, को तामील करने वाले सक्षम प्राधिकारी को वापस करेगा।

प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना

36–प्राधिकृत व्यक्ति निरीक्षण के दिनांक से सात कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण की अंतरिम रिपोर्ट और निरीक्षण के दिनांक से तीस दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

आज्ञा से,
एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

प्रपत्र

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

सेवा में,

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा 33 के अनुसरण में एतद्द्वारा नोटिस दिया जाता है कि श्री.....उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण.....पर स्थित उल्लिखित परिसर/भूमि पर प्रवेश करेगा।..... के प्रयोजन के लिए दिवस के समय..... पर

उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन, उत्तर प्रदेश के निमित्त

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 2-2025-203/XXX-4–2025-30-4099(099)-154-2023, dated February 11, 2025:

No. 2-2025-203/XXX-4–2025-30-4099(099)-154-2023

Dated Lucknow, February 11, 2025

IN exercise of the powers conferred by section 39 of the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023 (Act no. 22 of 2023), the State Government is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY RULES, 2025

CHAPTER-I

Preliminary

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Rules 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official *Gazette*.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires, **-**

(a) **"Act"** means the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023(Act no. 22 of 2023);

(b) **"Advisory committee"** means an advisory committee constituted under the section 12 of the Act;

(c) **"Annual Report** "means the annual report referred to in section 28 of the Act;

(d) **"Audit Officer**" means the Accountants General of Uttar Pradesh and includes any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority as well as the auditor appointed by the Authority for the purpose of accounts and audit;

(e) **"Authority"** means the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority constituted under section 3 of the Act;

(f) **"Budget"** means the estimate of receipts and expenditure of the Authority for a financial year;

(g) **"Chairperson"** means the Chairperson of the Authority;

(h) **"Fund"** means ***"the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Fund***" constituted under the section 23 of the Act;

(i) **"Member"** means a member of the Authority;

(j) **"Vice-Chairperson"** means the Vice-Chairperson of the Authority; and

(k) **"Regulations**" means the regulations made by the Authority under section 40 of the Act.

CHAPTER-II

Terms of Office, Salary and Other Conditions of Service of Chairperson, Vice-Chairperson, Secretary

Term of Office

3. (1) If the Transport Minister, Uttar Pradesh is nominated by the Chief Minister as the Chairperson, the term of office of the Chairperson shall be effective so long as he continues to act as the Transport Minister.

(2) The Chairperson, if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh and Vice-Chairperson appointed by the State Government under sub-section (4) of section 3 of the Act, shall hold office for a period of five years or such period, not exceeding five years, as may be determined by the State Government having regard to the circumstances of each case.

(3) The term of office of the Chairperson, if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh, and Vice-Chairperson shall be computed from the date of he assumes office. The term of office of Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) may be renewed by the Chief Minister of Uttar Pradesh and that of Vice-Chairperson may be renewed by the State Government for such further period as specified in the notification issued in this regard.

(4) The Secretary of the Authority shall be appointed on deputation basis from amongst the officers of the Transport Department of the Government of Uttar Pradesh holding the rank of Additional Transport Commissioner and shall hold office for a period as determined by the State Government.

Resignation

4**.** (1) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson may, by notice in writing under their own hand addressed to the Governor of the State of Uttar Pradesh, resign from his office.

(2) The office of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall fall vacant from the date on which the resignation of such member is accepted by the Governor of the State of Uttar Pradesh.

Salary

5. (1) If the Transport Minister, Uttar Pradesh is nominated by the Chief Minister as the Chairperson, then no separate salary and allowances will be payable to the Transport Minister for working as the Chairperson of the Authority.

(2) Unless specified otherwise, at the time of appointment, the salary, and allowances payable to the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and Vice-Chairperson shall be: -

(a) **Chairperson** (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) : as per 'fixed' monthly salary admissible to the Chief Secretary to the Government of Uttar Pradesh;

(b) **Vice-Chairperson**: as applicable to the officers of the State Government of the rank of Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh.

(c) **Secretary:** as applicable to the officers of Transport Department of the Government of Uttar Pradesh holding the rank of Additional Transport Commissioner.

(3) In case the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) or the Vice-Chairperson is in receipt of any superannuation pension at the time of his appointment, the pay of such person shall be reduced by the amount he receives in the form pension, including pension equivalent of gratuity.

(4) The salary of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) or the Vice-Chairperson shall not be varied to his disadvantage during the period he holds the office as the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) or the Vice-Chairperson.

(5) During the period of re-employment, that fixed pay will be admissible to the re-employed personnel which is the result of deducting the amount of net pension (if any before capitalization) from the last drawn basic pay of the re-employed personnel or the maximum of the pay scale of the re-employed post, whatever is less**;** it will not be more than that. During the period of reorganization, dearness allowance will be admissible on the sum of net salary and net pension. Separate relief on pension will not be admissible.

(6) The period of reinstatement will not be counted for pension and no traveling allowance will be payable after joining or terminating the post.

Residential Accommodation

6. (1) If the Transport Minister, Uttar Pradesh is nominated by the Chief Minister as the Chairperson, then no separate residential facility will be given to the Transport Minister for working as the Chairperson of the Authority.

(2) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) or the Vice-Chairperson shall be entitled to an unfurnished accommodation on deduction of 10% of the salary, subject to the ceiling on the monthly rental for such accommodation to be regulated in accordance with the rules for the time being in force, for allotment of such residence or to draw such house rent allowance as is admissible to the highest category of officers of the Authority.

(3) The Secretary shall be entitled to an unfurnished accommodation on deduction of 10% of the salary, subject to the ceiling on the monthly rental for such accommodation to be regulated in accordance with the rules for the time being in force, for allotment of such residence or to draw such house rent allowance as is admissible to the officers of Transport Department of the Government of Uttar Pradesh holding the rank of Additional Transport Commissioner.

Free use of Car

7. (1) If the Transport Minister, Uttar Pradesh is nominated by the Chief Minister as the Chairperson, then no separate government vehicle facility will be given to the Transport Minister for working as the Chairperson of the Authority.

(2) The use of the car of the Authority by the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and the Vice-Chairperson for private purpose, shall be regulated in accordance with the rules for the time being in force, for use of car by officers of the State Government of and above the rank of Principal Secretary.

Travelling Allowance, Joining Time and Joining Time Pay

8. (1) If the Transport Minister, Uttar Pradesh is nominated by the Chief Minister as the Chairperson, then no separate facilities like traveling allowance, joining time and joining time pay *etc.* will be given to the Transport Minister for working as the Chairperson of the Authority.

(2) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and the Vice-Chairperson shall be entitled to such travelling allowance, joining time and joining time pay while proceeding to join duty on their initial appointment and on reversion therefrom as are admissible to the highest category of officers in the whole time employment of the Authority in accordance with the regulations applicable in that behalf:

Provided that in the absence of any such regulations made by the Authority in that behalf, the traveling allowance, joining time and joining time pay in respect of officers of the State Government of and above the rank of Principal Secretary.

Travelling and Daily Allowance for Journeys on Tour

9.(1) If the Transport Minister, Uttar Pradesh is nominated by the Chief Minister for the post of Chairperson, then no separate facilities like traveling allowance, daily allowance *etc.* will be given to the Transport Minister for working as the Chairperson of the Authority.

(2) The Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and the Vice-Chairperson shall be entitled to draw such travelling allowance and daily allowance as is admissible to the highest category of officers in the whole- time Employment of the Authority in accordance with the regulations of the Authority applicable in that behalf:

Provided that, until such time regulations are made by the Authority in that behalf the travelling and daily allowance for journey on tour shall be regulated in accordance with the rules or orders made by the State Government for regulation of travelling by officers of the State Government of and above the rank Principal Secretary.

Other facilities and conditions of service

10. Other allowances and conditions of service of the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and the Vice-Chairperson shall be such as may be determined by the State Government at the time of their appointment:

Provided that as respects any matter, which is not so specifically determined by the State Government, the regulations applicable in that behalf to the highest category of the officers in the whole time employment of the Authority shall apply to the Chairperson (if an expert person is appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh) and the Vice-Chairperson.

Other allowances and conditions of service of Secretary

11. Other allowances such as travelling allowance, joining time, joining time pay, use of car *etc.* shall be regulated in accordance with the rules or orders made by the State Government for officers of the Transport Department of the rank of Additional Transport Commissioner.

CHAPTER-III

Powers and Duties of the Chairperson and Vice-Chairperson

Powers and Duties of the Chairperson

12. (1) In addition to presiding over the meeting of the Authority and discharging the powers delegated to him by the Authority the Chairperson shall be executive head of the Authority and shall discharge the duties and exercise the powers delegated to him by the Authority. The Chairperson shall, as the Chief Executive of the Authority, be entrusted, subject to any regulations made under section 40, with the overall responsibility of carrying out the purposes of the Act.

(2) The Chairperson shall,-

(i) attend meeting of the Authority unless prevented by sickness or other reasonable cause;

(ii) report to the Authority about the significant events and development in respect of the affairs of the Authority;

(iii) be responsible to the State Government regarding the functioning and performance of the Authority;

(iv) transmit, as soon as possible, to the State Government, a copy of the minutes of every meeting of the Authority;

(v) submit by first week of every month, a report to the State Government on the activities and performance of the Authority during the preceding month and submit report on such matters as may be directed by the State Government from time to time;

(vi) carry out all directions of the State Government in connection with the affairs of the Authority given in writing;

(vii) discharge such specific duties or assignments in respect of any matters connected with the affairs of the Authority as the State Government may consider fit to entrust to him;

(viii) carry out or cause to be carried out all directions, decisions, and orders of the Authority;

(ix) exercise supervision and control over the acts of all employees of the Authority in matters of executive administration and in matters concerning the accounts and records of the Authority;

(x) exercise the powers of granting extension of service to, granting leave to, suspending, reducing, compulsory retiring, removing or any other question relating to the services of any officer or employee of the Authority, including the power of dispensing with the service of any such officer or employee otherwise than by reason of the misconduct of such employee.

Powers and duties of the Vice-Chairperson

13. (1) The Vice-Chairperson shall, -

(i) assist the Chairperson in the discharge of his functions;

(ii) attend every meeting of the Authority unless prevented by sickness or other reasonable cause;

(iii) exercise the powers and perform the duties of the Chairperson subject to any such conditions and restrictions as may be specified by the State Government if the Chairperson is by infirmity, or otherwise, rendered incapable of carrying out his duties or is absent, on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his office.

CHAPTER IV

Procedure for Authority Meetings

Frequency of meetings

14. (1) A meeting of the Authority other than a special meeting referred to in rule 14, shall be held at least once in every quarter of a calendar year.

(2) The Chairperson shall, from time to time, determine the date and time of meetings of the Authority.

(3) A meeting of the Authority shall be held at headquarters of the Authority, or such other place as may be decided by the Authority in consultation with the State Government.

Calling of special meetings.

15. The Chairperson, or in his absence the Vice-Chairperson, may wherever he thinks fit, and shall upon the return request of not less than three members, call a special meeting of the Authority.

Notice of meeting

16. (1) A meeting of the Authority other than a special meeting referred to in rule 15 shall be called by giving each member not less than seven clear days' notice in writing, and each member shall be furnished a list of business to be disposed in that meeting.

(2) A special meeting shall be called by giving each member not less than three clear days' notice in writing.

Quorum

17. (1) The quorum for meeting of the Authority other than special meeting shall be at least five members.

(2) Four members present shall be the quorum for special meeting of that Authority.

(3) If, within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the Authority, quorum is not present, the meeting shall be adjourned to the same day in the following week at the same time and place and the presiding officer of such meeting shall inform the members present and send notice to other members.

(4) If at the adjourned meeting, also, quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, then members present shall be the quorum.

Presiding at meetings

18. The Chairperson, or in his absence the Vice-Chairperson, shall preside at every meeting of the Authority, and if both the Chairperson and the Vice-Chairperson are not present the senior most member of the Authority present shall preside over the meeting.

Discussion on item not included in the Agenda

19. The presiding officer at a meeting, may at his discretion, include for discussion any item not included in the agenda, if the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency and cannot be held over for consideration at any subsequent meeting.

Minutes of the Meeting

20. (1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Authority shall be recorded in a book to be provided by the Authority for this purpose which shall be signed as soon as practicable by the presiding officer as well as all members present in such meeting, and shall be open to inspection by any member during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof, as the Chairperson or, in his absence the Vice-Chairperson, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the headquarters of the Authority during office hours.

(3) The names of the members present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

(4) A member present at any meeting of the Authority shall sign his name in a book or register to be provided by the Authority for the purpose.

Adjournment of Meeting

21. (1) The presiding officer of a meeting may adjourn it for a later date, in which the date shall be announced at the meeting and where an announcement to that effect is not made, the presiding officer shall give seven clear days' notice to all the members.

(2) No business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting in which the adjournment took place.

CHAPTER-V

Advisory Committees and Empanelment of Experts

Advisory Committee

22. (1) The Authority may constitute such Advisory Committees as may be necessary for the efficient discharge of its functions.

(2) The Advisory Committee may have official as well as non-official members, having qualifications and experiences related to shipping and navigation and allied aspects.

(3) An Advisory Committee shall not have more than six members, at least half of which shall be non-official members.

(4) The Authority will appoint one member as Head of the Advisory Committee.

Procedure for Transaction of Business of Advisory Committees

23. (1) The Head of the Advisory Committee will call meeting of the Advisory Committee as and when required, or as directed by the Chairperson/Vice-Chairperson of the Authority.

(2) The quorum for a meeting of the Advisory Committee shall be not less than half of the total number of members of the Advisory Committee.

(3) Subject to sub rule (2), the meetings of any of the Advisory Committee shall, as far as may be, be governed by the rules, applicable to the meetings of the Authority specified in Chapter- IV.

Term of office of members

24. (1) A member of an Advisory Committee shall hold office for such period as may be determined by the Authority with the previous approval of the State Government and shall be eligible for reappointment.

(2) A member of an Advisory Committee may resign from his office by a letter under his signature addressed to the Chairperson.

(3) A member of an Advisory Committee shall be deemed to have vacated the office,-

(a) if he fails to attend three consecutive meetings of the Advisory Committee;

(b) if he becomes an insolvent; or

(c) if he is convicted of any offence which, in the opinion of the State Government involves moral turpitude.

(4) The Authority may remove from Advisory Committee, any member who, in its opinion, -

(a) refuses to act;

(b) is incapable to act;

(c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to public interest;

(d) is otherwise unsuitable to continue as a member.

Allowances

25. Official member will not get any allowance; only non-official member of the Advisory Committee shall be entitled to allowance of rupees ten thousand for attending each meeting:

Provided that the aggregate amount of allowance payable to any non-official member of the Advisory Committee for attending of the meeting of the Advisory Committee during a calendar month shall not exceed rupees fifty thousand.

Travelling allowances

26. Every outstation non-official member of the Advisory Committee attending any meeting of the Advisory Committee shall be entitled,-

(a) to receive, in addition to the allowance payable under rule 25, travelling allowance at the rate applicable to the highest category of officers;

(b) to receive daily allowance at the rate applicable to the highest category of officers in the all-time employment of that Authority for the period of journey performed to and from the place of meetings of the Advisory Committee and the place of his residence.

Empanelment of Experts

27. (1) The Authority may also empanel any subject expert(s) for the efficient discharge of its functions as and when required;

(2) The subject expert(s) will be empaneled by the Chairperson or in his absence by the Vice-Chairperson and such empanelment will be ratified in the next meeting of the Authority.

(3) The allowances, tenure and other conditions of the subject expert(s) will be determined by the Authority at the time of empanelment.

(4) The Authority may remove the subject expert(s), who in its opinion,-

(a) refuses to act;

(b) is incapable to act;

(c) has so abused his office as to render his continuance in office detrimental to public interest;

(d) is otherwise unsuitable to continue as an expert.

Chapter-VI

Budget, Accounts and Audit

Preparation and submission of budget

28. (1) The budget estimates of the Authority for each financial year shall be prepared by the officer(s) authorized by the Authority in such form(s) as are prepared by the Authority and approved by the State Government, sufficiently in advance of the date specified in sub-rule (4).

(2) A copy of the budget estimates so prepared shall be sent to each member, at least fourteen days before the meeting of the Authority at which such estimates are to be considered.

(3) The Authority shall consider and sanction the budget estimates with such changes as it thinks fit at the meeting fixed for the purpose or at any other meeting to which the consideration of the budget estimates is adjourned.

(4) The budget estimates sanctioned by the Authority shall be forwarded to the State Government by the 15th day of October month of the financial year, preceding the financial year to which the budget estimates relate:

Provided that the State Government may, at the request of the Authority, fix such later date, but not beyond the 31st day of October month, as the State Government thinks fit.

Supplementary Budget

29. The Authority shall, where necessary, also forward to the State Government the supplementary budget in respect of the financial year to which it relates, in such form(s) as are prepared by the Authority and approved by the State Government, before such date as may be specified by the State Government.

Account and Audit

30. (1) The financial year/accounting year shall be the year commencing from 1st April and ending on 31st March.

(2) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts, including the profit and loss account and the Balance Sheet in such form(s) as are prepared by the Authority and approved by the State Government.

(3) The accounts of the Authority shall be audited annually by the Accountants General of Uttar Pradesh and/or by the Auditor appointed by the Authority and any expenditure incurred by him in connection with the audit of the accounts of the Authority shall be paid by the Authority to the Auditory within three months from the date on which any demand therefrom is made by the Accountants General of Uttar Pradesh.

(4) The Audit Officer in connection with the audit of the accounts of the Authority shall have the same rights and privileges and authority in connection with such audits as the Accountants General of Uttar Pradesh has in connection with the audit of Government accounts and in particular shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect any of the offices of the Authority.

(5) The Audit Officer shall be supplied with a copy of the annual accounts authenticated by affixing the common seal of and duly passed by the Authority on or before 31st day of July, following the year to which the accounts relate:

Provided that on request received from the Authority the Government may, for reasons to be recorded in writing and with the concurrence of the Auditor, extend the date of submission of annual accounts to the Audit Officer by such period as it may consider fit.

(6) The Audit Officer shall audit and report on the annual accounts of the Authority within three months of the submission of accounts to him.

(7) The accounts of the Authority as certified by Audit Officer together with the audit report thereon shall be forwarded by the Audit officer annually to the State Government within a period of three months from the date of submission of accounts by the Authority to the Audit officer.

(8) **Initial Accounts of Stores** - Initial Accounts of Stores including material on the site of the work and tools and plants. (including special tools and plants) shall be maintained in accordance with such instructions as may be issued by the Authority from time to time.

(9) **Physical Verification of Stores**–A physical verification of stores and tools and plants shall be made by an officer who is not the custodian thereof. The results of such verification together with the orders of the Authority for any shortages or excess of stores and tools and plants shall be communicated to the Audit Officer.

(10) **Impropriety or irregularity in accounts -**

(a) the Audit Officer shall furnish the Authority and the State Government separately with a statement where necessary in regard to any material impropriety or irregularity which he may observe in the expenditure or in the recovery of money due to the Authority.

(b) the Authority shall forthwith remedy any defect or irregularity pointed out by the Audit Officer and shall report to the Government the action taken by it thereon within ninety days of the date of receipt of the report of the Audit Officer:

Provided that, if there is an any difference of opinion between the Authority and the Audit Officer, or if the Authority does not remedy any defect or irregularity within a reasonable period or render a satisfactory explanation in regard to the defect or irregularity, the State Government may, and, on a reference specifically made therefore by the Audit Officer, shall, in consultation with the Auditor, pass such orders thereon as it thinks fit and the Authority shall thereafter take action in accordance with within such time as may be specified by the State Government.

Preparation and submission of Annual Report and Annual Account

31. (1) The Chairperson shall prepare soon as soon as may be after the commencement of each financial year,-

(a) The annual report referred to in section 28 of the Act; and

(b) Annual Statement of Accounts referred to in sub-rule (2) of rule 30.

(2) The Annual Report referred in sub-rule (1) shall, *inter alia* include account of the activities of the Authority during the previous financial year on the following matters, namely: -

(a) a statement of corporate and operational goals and objectives of the Authority;

(b) annual targets in physical and financial terms set for various activities together with a brief review of the actual performance with reference to those targets;

(c) an administrative report on the activities of the Authority during the year last/previous year and the current year and an account of the activities which are likely to be taken up during the next financial year;

(d) a summary of the actual financial results during the previous year of report, as indicated by way of statements of :-

(i) income and expenditure;

(ii) source and application of funds; and

(iii) cash flow;

(e) important changes in policy and specific measures either taken or proposed to be taken, which have influenced or are likely to influence the profitability or functioning of the Authority;

(f) new projects of expansion schemes contemplated together with their advantages, financial implications, and programmes for execution;

(g) important changes in the organizational set up of the Authority;

(h) a report on employer-employee relation and welfare activities of the Authority; and

(i) report on such other miscellaneous subjects as deemed fit by the Authority or the State Government for reporting to the latter.

(3) The annual report referred to the sub-rule (1) shall be placed for adoption in the meeting of the Authority and shall be signed by the members and authenticated by affixing the common seal of the Authority and one hundred copies thereof shall be submitted to the State Government by the end of October of the following year.

(4) The annual accounts signed by the members and authenticated affixing the common seal of the Authority after adoption by the Authority at its meeting, together with the Auditor's certificate and report thereon, shall be submitted to the State Government by second week of November of the following year, to which the accounts relate.

Chapter-VII

Constitution of Fund and Investment of Funds

Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Fund

32. (1) The Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Fund will be opened in 'Public Account' and in this regard, provision of account head/sub-head will be made as per the procedure specified by the Government of Uttar Pradesh.

(2) The amount provided by the State Government for the formation/operation of the Authority will be in the form of loan or share capital.

(3) The source of the fund shall be as specified in sub-section (1) of section 23 of the Act and the expenses from the Fund shall be as specified in sub-section (2) of section 23 of the Act.

The fund shall be operated by the Uttar Pradesh Inland Waterways Authority constituted under the Act.

Manner of Investment of Fund

33. All money standing at the credit of the Fund which cannot immediately be applied for the purposes specified in sub-section (2) of section 23 of the Act shall be deposited in the State Bank of India or any Scheduled bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act no. 5 of 1970) or the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (Act no. 40 of 1980).

Reserve Fund

34. (1) In respect of every loan raised by the Authority, not being a loan repayable before the expiration of one year from the date of the loan, the Authority shall set apart a sum half-yearly, out of its income in a reserve fund, sufficient to liquidate the loan within a period which shall not, in any case, exceed thirty years:

Provided that a reserve fund need not, in the absence of any stipulation to that effect, be established in the case of loan taken by the Authority from the Central Government or any State Government.

(2) The sums set apart by the Authority under sub-rule (1) shall be invested in securities of Central Government, or in such other securities as the Central Government may approve in this behalf, and shall be held in trust for the purposes of the Act by the Authority.

(3) The Authority may apply the whole, or any part of the sums, accumulated in any reserve fund in or towards the discharge of the loan liabilities for the repayment of which the fund has been established:

Provided that Authority pays into the fund each year and accumulates until the whole of the money borrowed is discharged, a sum equivalent to the interest which would have been produced by the reserve fund, or the part of the reserve fund so applied.

(4) A reserve fund established for the liquidation of any loan shall be subject to annual examination by such person as may be appointed by the State Government in this behalf and the person so appointed shall ascertain whether the cash and the current market value of the securities at the credit of the fund are actually equal to the amount which would have been accumulated had investments been regularly made and rate of interest as originally estimated, obtained thereon.

(5) The Authority shall pay forth with into the reserve fund any amount which the person appointed under sub-rule (4) to conduct the annual examination of the fund may certify to be deficient unless the State Government specifically sanctions a gradual readjustment.

(6) If the cash and current market value of the securities at the credit of a reserve fund are in excess of the amount which should be at its credit, the person appointed under sub-rule (4) shall certify the amount of this excess and the Authority may, with the previous sanctions of the State Government, reduce or discontinue the half yearly contribution to the reserve fund.

Chapter-VIII
Power to Enter Land or Premises

Mode of service of notice

35. (1) Before entering upon any land or premises under section 33 of the Act, the person authorized by the Authority shall serve on the owner of the land, or premises intended to be entered upon, notice in Form B annexed to these rules.

(2) The notice may be served by delivering or tendering a copy of such notice to the person for whom it is intended to or to any adult member of his family, or to agent or servant or by sending it, by registered post, acknowledgment, duly addressed to that person at his usual or last known place of residence or business.

(3) Where the serving officer delivers or tenders the copy of the notice under sub-rule (2), he shall require the signature of the person to whom the copy is delivered or tendered to an acknowledgment of service endorsed on origina.

(4) Where the person or the adult member of the family, or servant of such person, refuses to sign the acknowledgment, or where the serving officer after using all the due and reasonable diligence cannot find such person and there is no adult member of the family or servant of such person, the serving officer shall affix a copy of notice on the outer door or some other conspicuous part of the ordinary residence, or usual place of business of such person and then shall return the original to the competent Authority who served the notice with a report endorsed thereon or annexed thereto stating that he had to affix a copy, the circumstances under which he did so and the name and address of the person, if any, by whom the usual or last known place of residence or business, as the case may be, was identified and in whose presence the copy was affixed.

Inspection Report submission by the Authorized Person

36. The authorized person will submit the interim report of inspection within seven working days from the date of inspection and the final report within thirty days from the date of inspection to the Authority.

By order,
L. VENKATESHWAR LU,
Pramukh Sachiv.

Form

THE UTTAR PRADESH INLAND WATERWAYS AUTHORITY

To,

Dear Sir/Madam

In pursuance of Section 33 of Uttar Pradesh Inland Waterways Authority Act, 2023 notice is hereby given thart Shri ..... of Uttar Pradesh Inland Waterways Authroity will enter upon the under mentioned premises/land located at ..... for the purpose of .....of On the day of .....at .....hours.

For and on behalf of

Uttar Pradesh Inland Waterways Transport of Uttar Pradesh

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 509 राजपत्र–2025–(1294)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 12 सा0 परिवहन–2025–(1295)–100 प्रतियां (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।